रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

27 AUG 1982

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 255] नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 1982/ज्येष्ठ 31, 1904
No. 255] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 1982/JYAISTHA 31, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर

का॰ आ॰ 433 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 29 ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"29 ग कर की कटौती के बिना कतिपय आय की प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

(1) किसी ऐसे व्यष्टि द्वारा जो भारत में निवासी है, धारा 193 के अधीन कर की कटौती के बिना "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के संदाय के लिए, धारा 197 क की उपधारा (1) के अधीन घोषणा, प्ररूप सं॰ 15 घ में की जाएगी और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित की जाएगी।

(2) किसी ऐसे व्यष्टि द्वारा जो भारत में निवासी है, धारा 194 के अधीन कर की कटौती के बिना लाभांश के संदाय के लिए, धारा 197 क की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा, प्ररूप सं॰ 15 छ में की जाएगी और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित की जाएगी।

(3) किसी व्यष्टि द्वारा, भारत में निवासी होने पर धारा 194 क के अधीन कर की कटौती के बिना "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के संदाय के लिए, घोषणा प्ररूप सं॰ 15 ज में की जाएगी और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में निर्दिष्ट घोषणा दो प्रतियों में उस व्यक्ति को दी जाएगी जो यथास्थिति, "प्रतिभूतियों पर ब्याज" या लाभांश या, "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में निर्दिष्ट घोषणा की एक प्रति, उस मास के जिसमें उसे घोषणा दी जाती है, आगामी मास की सात तारीख को या उसके पूर्व आयुक्त को परिदत्त करेगा या करवाएगा।

स्पष्टीकरण. उपनियम (5) के प्रयोजनों के लिए "आयुक्त" से वह आयुक्त अभिप्रेत है जिसका वह आयकर अधिकारी अधीनस्थ है जो उपनियम (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति का कर-निर्धारण करने की अधिकारिता रखता है।

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं० 15 ङ-के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

प्ररूप सं० 15 च

[नियम 29 ग (1) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 क (1) के अधीन, कर की कटौती के बिना "प्रतिभूतियों पर ब्याज" की प्राप्ति का दावा करने वाले किसी व्यष्टि द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं------------------------------------जो---का पुत्र/की पुत्री/ की पत्नी हूं और --का निवासी हूं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि ---

1. वे प्रतिभूतियां जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, मेरे नाम में हैं और वे फायदाप्रद रूप से मेरे स्वामित्व में हैं और उनसे उद्भूत ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है :

प्रतिभूतियों का वर्णन	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिभूतियों की तारीखें	प्रतिभूतियों की रकम	वह तारीख (तारीखें) जिनको घोषणाकर्ता द्वारा प्रतिभूतियां अर्जित की गई थी।

2. मेरा वर्तमान व्यवसाय ------ -- है

3. आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार संगणित, निर्धारण वर्ष -- 19 --------------से सुसंगत --------------को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित, मेरी प्राक्कलित कुल आय, आयकर के लिए दायी न्यूनतम से कम होगी।

*4. इसके पूर्व किसी भी समय आयकर के लिए मेरी आय का निर्धारण नहीं किया गया है किन्तु मैं आयकर आयुक्त --------------------की अधिकारिता के अन्तर्गत आता हूं ;

या

निर्धारण वर्ष 19------------- 19 ----------- के लिए आयकर का मेरा गत निर्धारण, आयकर अधिकारी ---------- सर्किल /वार्ड/ जिला द्वारा किया गया था और मुझे आबंटित स्थायी लेखा सं०---------- है।

5. मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थान्तर्गत भारत में निवासी हूं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ---------- इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी ऊपर लिखित है, वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है, पूर्ण है और सत्यतापूर्वक कथित किया गया है।

आज, तारीख को सत्यापित

स्थान------------------ घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पण 1. @डाक का पूरा पता लिखें।

2. घोषणा दो प्रतियों में दी जानी चाहिए।

3. *जो लागू न हो, उसे काट दें।

4. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई सूचना सत्य, सही और सभी प्रकार से पूर्ण है। घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा और दोषसिद्धि पर निम्नलिखित से दण्डनीय होगा--

(i) उस मामले में, जहां अपवंचित किया जाने वाला कर एक लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से, जो छह मास से कम नहीं होगा किन्तु सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से,

(ii) किसी अन्य मामले में, कठोर कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से,

(उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग के लिए जिसे घोषणा दी जाती है)

1. घोषणा के पैरा 1 में उल्लिखित प्रतिभूतियों पर ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता
2. वह तारीख जिसको घोषणा कर्ता द्वारा घोषणा दी गई थी
3. वह अवधि, जिसके लिए ब्याज का संदाय किया जाता है।
4. ब्याज की रकम
5. वह तारीख जिसको ब्याज का संदाय किया जाता है।

आयकर आयुक्त को अग्रेषित।

स्थान

तारीख

प्रतिभूतियों पर ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप सं० 15 छ

[नियम 29ग (2) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क (1) के अधीन, कर की कटौती के बिना लाभांश की प्राप्ति का दावा करने वाले किसी व्यष्टि द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं, ---------- जो ----------का पुत्र/की पुत्री/की पत्नी हूं और ---------- का निवासी हूं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ----------------

1. मैं --------------------------------में शेयर धारक हूं।
(कंपनी का नाम और पता)

2. उक्त कंपनी में वे शेयर जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, मेरे नाम में हैं और वे फायदाप्रद रूप से मेरे स्वामित्व में हैं और उनका लाभांश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है:

शेयरों की संख्या	शेयरों का वर्ग और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	शेयरों के सुभिन्न संख्यांक	वह तारीख (तारीखें) जिनको घोषणाकर्ता द्वारा शेयर अर्जित किए गए थे

3. मेरा वर्तमान व्यवसाय ------------------------------------ है।

4. आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार संगणित, निर्धारण वर्ष ---------- 19 ---------- से सुसंगत ---------- को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए ऊपर पैरा 2 में निर्दिष्ट शेयरों से लाभांश सहित, मेरी प्राक्कलित कुल आय, आयकर के लिए दायी न्यूनतम से कम होगी।

*5. इसके पूर्व किसी भी समय आयकर के लिए मेरी आय का निर्धारण नहीं किया गया है किन्तु मैं आयकर आयुक्त ------------------ की अधिकारिता के अन्तर्गत आता हूं :

या

निर्धारण वर्ष 19 ---------- 19 ----------के लिए आयकर का मेरा गत निर्धारण, आयकर अधिकारी ---------------- सर्किल/वार्ड/जिला द्वारा किया गया था और मुझे आबंटित स्थायी लेखा सं० ----------------------है।

6. मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थान्तर्गत भारत में निवासी हूं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ---------- इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी ऊपर लिखित है, वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है, पूर्ण है और सत्यतापूर्वक कथित किया गया है।

आज, तारीख को सत्यापित

स्थान ----------------

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पण 1. डाक का पूरा पता लिखें।

2. घोषणा दो प्रतियों में दी जानी चाहिए।

3. जो लागू न हो, उसे काट दें।

4. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई सूचना, सत्य सही और और सभी प्रकार से पूर्ण है। घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा और दोषसिद्धि पर निम्नलिखित से दण्डनीय होगा--

(i) उस मामले में, जहां अपवंचित किया जाने वाला कर एक लाख रुपए से अधिक है। कठोर कारावास से, जो छह मास से कम नहीं होगा किन्तु सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से,

(ii) किसी अन्य मामले में, कठोर कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से,

(उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग के लिए जिसे घोषणा दी जाती है)

1. कंपनी का नाम और पता

2. वह तारीख जिसको घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा दी गई थी

3. लाभांश की घोषणा, वितरण या संदाय की तारीख

4. वह तारीख जिसके लिए लाभांश घोषित किया गया है।

5 संदत्त लाभांश की रकम

आयकर आयुक्त को अग्रेषित।

स्थान ----------------

तारीख ----------------

कंपनी के प्रधान अधिकारी
के हस्ताक्षर

प्ररूप सं० 15 ज

[नियम 29 ग (3) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क (1) के अधीन, कर की कटौती के बिना "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज की प्राप्ति का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं, ———— जो ————का पुत्र/की पुत्री/की पत्नी हूं और ————@का निवासी हूं, इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि————

1. वे राशियां जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, मेरे नाम में हैं और वे फायदाप्रद रूप से मेरे स्वामित्व में हैं और ऐसी राशियों की बाबत ब्याज, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है;

उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसमें राशियां ब्याज पर दी गई हैं	ऐसी राशियों की रकम	वह तारीख (तारीखें जिनको) ऐसी राशियां ब्याज पर दी जाती हैं	वह अवधि जिसके लिए ऐसी राशियां ब्याज पर दी गई थी	ब्याज की दर

2 मेरा वर्तमान व्यवसाय ———————————————— है;

3. आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार संगणित, निर्धारण वर्ष ——————— 19———————से सुसंगत —— ———— को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट राशियों पर ब्याज सहित, मेरी प्राक्कलित कुल आय, आयकर के लिए दायी न्यूनतम से कम होगी।

*4. इसके पूर्व किसी भी समय आयकर के लिए मेरी आय का निर्धारण नहीं किया गया है किन्तु मैं आयकर आयुक्त ———————————की अधिकारिता के अन्तर्गत आता हूं;

या

निर्धारण वर्ष 19 ——————— 19——————— के लिए आयकर का मेरा गत निर्धारण, आयकर अधिकारी ——————— सर्किल/वार्ड/जिला द्वारा किया गया था और मुझे आवंटित स्थायी लेखा सं० ————————है।

5. मैं आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 6 के अर्थान्तर्गत भारत में निवासी हूं।

———————
घोषणकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ——————————इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी ऊपर लिखित है, वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, सही है, पूर्ण है और सत्यतापूर्वक कथित किया गया है।

आज, तारीख को सत्यापित

स्थान ———

———————
घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पण 1. @डाक का पूरा पता लिखें।

2. घोषणा दो प्रतियों में दी जानी चाहिए।

3. *जो लागू न हो, उसे काट दें।

4. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई सूचना सत्य, सही और सभी प्रकार से पूर्ण है।

(5) घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा और दोषसिद्धि पर निम्नलिखित से दण्डनीय होगा—

(i) उस मामले में, जहां अपवंचित किया जाने वाला कर एक लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से, जो छह मास से कम नहीं होगा किन्तु सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठोर कारावास से जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

(उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग के लिए जिसे घोषणा दी जाती है)

1. घोषणा के पैरा 1 में उल्लिखित राशियों पर ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता

2. वह तारीख जिसको घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा दी गई थी।

3. वह अवधि, जिसके लिए ब्याज जमा किया जाता है/उसका संदाय किया जाता है।

4. ब्याज की रकम

5. वह तारीख जिसको ब्याज जमा किया जाता है / उस का संदाय किया जाता है।

आयकर आयुक्त——————————————का अग्रेषित।

स्थान ————————

तारीख ———————

———————
प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

[सं० 4752/फा० सं० 142/11/82-टी० पी० एल]

ई० के० कोशी, सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

MINISTRY OF FINANCE

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

INCOME-TAX

New Delhi, the 21st June, 1982

S.O. 433 (E):— In exercise of the powers conferred by section 295 of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1 (1) These rules may be called the Income-tax (Fifith Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 29B, the following rule shall be inserted, namely:—

'**29C. Declaration by person claiming receipt of certain incomes without deduction of tax.**

(1) A declaration under sub-section (1) of section 197A by an individual, who is resident in India, for payment of "Interest on securities" without deduction of tax under section 193 shall be in Form No. 15 F and shall be verified in the manner indicated therein.

(2) A declaration under sub-section (1) of section 197A by an individual, who is resident in India, for payment of dividend without deduction of tax under section 194 shall be in Form No. 15G and shall be verified in the manner indicated therein.

(3) A declaration under sub-section (1) of section 197A by an individual, being resident in India, for payment of interest other than "Interest on securities" without deduction of tax under section 194A shall be in Form No. 15H and shall be verified in the manner indicated therein.

(4) The declaration referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3) shall be furnished in duplicate to the person responsible for paying the "Interest on securities" of dividend or, as the case may be, interest other than "Interest on securities".

(5) The person referred to in sub-rule (4) shall deliver or cause to be delivered to the Commissioner one copy of the declaration referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) or, as the case may be, sub-rule (3) on or before the seventh day of the month next following the month in which the declaration is furnished to him.

Explanation: For the purposes of sub-rule (5) "Commissioner" means the Commissioner to whom the Income-tax Officer having jurisdiction to assess the person referred to in sub-rule (4) is subordinate.'

3. In Appendix II to the principal rules, after Form No. 15E the following Forms shall be inserted, namely:—

FORM NO. 15 E
[See rule 29C(1)]

DECLARATION UNDER SECTION 197A (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 TO BE MADE BY AN INDIVIDUAL CLAIMING RECEIPT OF "INTEREST ON SECURITIES" WITHOUT DEDUCTION OF TAX.

I,..son/daughter/wife of .... resident of @.. .... do hereby declare—

1. that the securities, particulars of which are given below, stand in my name and are beneficially owned by me, and the interest therefrom is not includible in the total income of any other person under sections 60 to 64 of the Income-tax Act, 1961;

Description of securities	Number of securities	Date of securities	Amount of securities	Date(s) on which the securities were acquired by the declarant

2. that my present occupation is ....

3. that my estimated total income including the interest on securities referred to in paragraph 1 above, computed in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, for the previous year ending on ....relevant to the assessment year 19............—19 ....will be less than the minimum liable to income-tax;

4* that I have not been assessed to income-tax at any time in the past but I fall within the jurisdiction of the Commissioner of income-tax,..;

OR

that I was last assessed to income-tax for the assessment year 19..........19........by the Income-tax Officer .... Circle/Ward/District and the permanent account number allotted to me is...............................

5. that I am resident in India within the meaning of section 6 of the Income-tax Act, 1961.

Signature of the declarant.

VERIFICATION

I, ...do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

Verified today, the ....day of ...., 19 ....

Place....................... Signature of the declarant

NOTES:

1.@ Give complete postal address.

2. The declaration should be furnished in duplicate.

3.* Delete whichever is not applicable.

4. Before signing the verification the declarant should satisfy himself that the information furnished in the declaration is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961, and on conviction be punishable—

(i) in a case where tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(ii) in any other case, with rigourous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine.

(FOR USE BY THE PERSON TO WHOM THE DECLARATION IS FURNISHED)

1. Name and address of the person responsible for paying the interest on securities mentioned in paragraph 1 of the declaration.

2. Date on which the declaration was furnished by the declarant.

3. Period for which interest is paid.

4. Amount of interest.

5. Date on which interest is paid.

Forwarded to the Commissioner of Income-tax, ...

Place.......................

Date......................... Signature of the person responsible for paying the interest on securities.

FROM NO. 15/G

[See rule 29C (2)]

DECLARATION UNDER SECTION 197A (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 TO BE MADE BY AN INDIVIDUAL CLAIMING RECEIPT OF DIVIDENT WITHOUT DEDUCTION OF TAX.

I, ...son/daughter/wife of ....resident of @..........., ...do hereby declare—

1. that I am a shareholder in ....
(name and address of the company)

2. that the shares in the said company, particulars of which are given below, stand in my name and are beneficially owned by me and the dividends therefrom are not includible in the total income of any other person under sections 60 to 64 of the Income-tax Act, 1961;

No. of shares	Class of shares and face value of each share	Total face value of shares	Distinctive numbers of the shrares	Date(s) on which the shares were acquired by the declarant

3. that my present occupation is ....;

4. that my estimated total income, including the dividends from the shares referred to in paragraph 2 above, computed in accordance with the provisions of Income-tax Act, 1961 for the previous year ending on........................relevant to the assessment year 19..........19........, will be less than the minimum liable to income-tax;

5.* that I have not been assessed to income-tax at any time in the past but I fall within the jurisdiction of the commissioner of Income-tax....................................;

OR

that I was last assessed to income-tax for the assessment year 19........19 ....by the Income-tax Officer .... Circle/Ward/District and the permanent account number allotted to me is ....;

6. that I am resident in India within the meaning of section 6 of the Income-tax Act, 1961.

Signature of the declarant

VERIFICATION

I, ...do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

Verified today, the ....day of ....19.........
Place....................

Signature of the declarant

Notes:

1. @ Give complete postal address.
2. The declaration should be furnished in duplicate.
3.* Delete whichever is not applicable.
4. Before signing the verification, the declarant should satisfy himself that the information furnished in the declaration is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961, and on conviction be punishable—
   (i) in a case where tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;
   (ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine.

(FOR USE BY THE PERSON TO WHOM THE DECLARATION IS FURNISHED)

1. Name and address of the company.
2. Date on which the declaration was furnished by the declarant.
3. Date of declaration, distribution or payment of dividends.
4. Period in respect of which dividend has been delcared.
5. Amount of dividend paid.

Forwarded to the Commissioner of Income-tax ....

Place....................
Date.................

Signature of the principal officer of the company.

FORM NO. 15 H

[See Rule 29C (3)]

DECLARATION UNDER SECTION 197A (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 TO BE MADE BY AN INDIVIDUAL CLAIMING RECEIPT OF INTERESTS OTHER THAN "INTEREST ON SECURITIES" WITHOUT DEDUCTION OF TAX.

I, ...son/daughter/wife of................................resident of @...... ....do hereby declare..

1. that the sums, particulars of which are given below, stand in my name and beneficially belong to me, and the intecest in respect of such sums is not includible in the total income of any other person under sections 60 to 64 of the Income-tax Act, 1961;

Name and address of the person to whom the sums are given on interest.	Amount of such sums	Date(s) on which such sums were given on interest	Period for which such sums were given on interest	Rate of interest

2. that my present occupation is ....;

3. that my estimated total income, including the interest on the sums referred to in paragraph 1 above, computed in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 for the previous year ending on ....relevant to the assessmen year 19 ....19........will be less than the minimum liable to income-tax.

4. that I have not been assessed to income-tax at any time in the past, but I fall within the jurisdiction of the Commissioner of Income-tax.......................................;

OR

that I was last assessed to income-tax for the assessment year 19..........19........by the Income-tax Officer............

Circle/Ward/District and the permanent account number allotted to me is........................;

5. that I am resident in India within the meaning of section 6 of the Income tax Act, 1961.

Signature of the declarant

VERIFICATION

I, ..., do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

Verified today, the ....day of ...., 19 ....

Place....................

Signature of the declarant

NOTES:

1.@ Give complete postal address.
2. The declaration should be furnished in duplicate.
3.* Delete whichever is not applicable.
4. Before signing the verification the declarant should satisfy himself that the information furnished in the declaration is true, correct and complete in all respects.
5. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable:—
   (i) in a case where tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;
   (ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine.

(FOR USE BY THE PERSON TO WHOM THE DECLARATION IS FURNISHED)

1. Name and address of the person responsible for paying interest on sums mentioned in paragraph 1 of the declaration.
2. Date on which the declaration was furnished by the declarant.
3. Period for which interest is credited/paid.
4. Amount of interest.
5. Date on which interest is credited/paid.

Forwarded to the Commissioner of Income-tax, ...

Place....................

Date....................

Signature of the person responsible for paying interest other than "Interest on securities"

[No. 4752 F. No. 142(11)/82-TPL]
E. K. KOSHI, Secretary,
Central Board of Direct Taxes

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982

347 GI/82—2